बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 08 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

ज्ञातव्य है कि आज दिनांक 08.05.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तहत सातवें चरण के लिए आठ (08) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम–अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद) में चुनाव हेतु नामनिर्देशन का दूसरा दिन था। विदित हो कि अगिऑव (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के सातवें चरण के साथ ही निर्धारित है। अतएव वहाँ भी नामनिर्देशन का दूसरा दिन था। उक्त दोनों परिप्रेक्ष्य में नामनिर्देशन की वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	क्र0	अभ्यर्थी का नाम	दल सम्बद्धता	अब तक कुल अभ्यर्थियों की संख्या
नालंदा	01	शून्य		02
पटना साहिब	01	धनंजय कुमार	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	03
	02	सरोज कुमार सुमन	सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)	
	03	महेश कुमार	समता पार्टी	
पाटलिपुत्र	01	शून्य		01
आरा	01	शून्य		03
बक्सर	01	सुधाकर मिश्रा	निर्दलीय	04
सासाराम–अ0जा0	01	शून्य		00
काराकाट	01	इन्द्र राज रौशन	निर्दलीय	03
	02	राजा राम सिंह	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	
जहानाबाद	01	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल (राजद)	09
	02	मो सरफराज अहमद	निर्दलीय	
	03	मणि भूषण शर्मा	निर्दलीय	
	04	राज किशोर शर्मा	भारतीय सार्थक पार्टी	

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	क्र0	अभ्यर्थी का नाम	दल सम्बद्धता	अब तक कुल अभ्यर्थियों की संख्या
अगिऑव (अ0जा0)	01	शिव प्रकाश रंजन	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	01

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 07.05.2024 को कुल **₹21.65370**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–16790.20(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹33.04018**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹14.09200**(लाख) रूपये मूल्य के 70.46(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹95.69937**(लाख) रूपये मूल्य की 281478.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹164.48525**(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।